स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 47/2018

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
1. श्री मोहित सचदेवा, पुत्र श्री मुरलीधर सचदेवा,(विक्रेता)
फर्म :– मै. कोल्ड ड्रिंक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी),
दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।
2. श्री मुरलीधर सचदेवा, पुत्र श्री प्रतापराम, (मालिक)
मै. कोल्ड ड्रिंक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी),
दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.04.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन ,जोधपुर द्वारा ग त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. कोल्ड ड्रिंक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स ऐजेन्सी) दुकान नं. 12 गणेध चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ नोन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक ऐडेड मेंगो फ्लेवर्ड (fruJoy)200 एम.एल. पैक आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त 20 सिल्ड बोतल 200 एम. एल. के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 130/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 20 सिल्ड बोतल 200 एम. एल के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–572 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–572 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–572 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा वि लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य वि लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग ाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि नोन कार्बोनेटेड वाटर बेस्ड फ्लेवर्ड ड्रिंक ऐडेड मेंगो फ्लेवर्ड (fruJoy)200 एम.एल. पैक के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–572 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 390/एक्ट/2017/475 दिनांक 24. 05..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पे । किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदे ।, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिके ान, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण,

नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–572एवं खाद्य वि लेशक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी को जवाब के अवसर देने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया जवाब बंद किया गया। बहस हेतु उपस्थिति नहीं।आवाज लगायी गयी एक पक्षीय आदेश करना उचित प्रतित होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट कमांक 475 दिनांक 24.05.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 24.05.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 51 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 25,000 अक्षरे रूपये पच्चीस हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 13/7/18 के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 13/7/18 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर (मुहर)

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

कमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2018 / 1566-1569

दिनांक :– 13/07/2018

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री राजेश टींकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री मोहित सचदेवा, पुत्र श्री मुरलीधर सचदेवा,(विकेता), मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।
4. श्री मुरलीधर सचदेवा, पुत्र श्री प्रतापराम, (मालिक) मै. कोल्ड ड्रिक का गौदाम (पवन पुत्र सेल्स एजेन्सी), दुकान नं. 12 गणेश चौराहा, प्रताप नगर जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर